संख्या-8/2018/1065/77-3-18-6(बजट)/2016

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 15 मार्च, 2018**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना में निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता की मद में प्राविधानित धनराशि में से रू0 24,49,00,603.00 की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4295/यूपीडा/2018, दिनांक 14.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या--4/2018/429/77-3-18-06(बजट)/2016, दिनांक 08.03.2018 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य-15- यूपीडा द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) की मद में प्राविधानित धनराशि में से रू0 24,49,00,603.00 (रूपये चौबीस करोड़ उन्चास लाख छः सौ तीन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

3. उपरोक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 (2) में उल्लिखित शर्त-'धनराशि आहरित कर डिपाजिट खाते में रखी जायेगी। उक्त धनराशि का डिपाजिट खाते से आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा', के स्थान पर 'उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा', पढा जाये।

4. अत: शासनादेश संख्या-4/2018/429/77-3-18-06(बजट)/2016, दिनांक 08.03.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 8/2018/1065(1)/77-3-18, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 ।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।